न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–818/2026
महुआ थाना कांड सं0–157/2026

धारा– 69, 352, 3(5) B.N.S.

Web Copy not Official

23.04.2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकगण जवाहर सिंह, आशा देवी, राकेश सिंह, मनीष सिंह की ओर से महुआ थाना कांड सं0–157/2026 में गिरफ्तारी की आशंका से दाखिल किया गया है। प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों को सुना।

संक्षेप में प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि सूचिका सुमन कुमारी द्वारा लिखित आवेदन थानाध्यक्ष महुआ को इस आशय का दिया गया कि "मेरी शादी मेरे माता–पिता द्वारा बगल के गॉव मे शतिश कुमार उर्फ करण पिता जवाहर सिंह के साथ तय हुआ कि दिसम्बर 2025 तक विवाह कर लिया जायेगा। शतिश कुमार उर्फ करण मेरे पिताजी को अपना बायोडाटा एवं फोटो दिया तथा मेरा मोबाईल नं0 ले लिया और बात करने लगा, शतिश कुमार उर्फ करण मेरे पिताजी पर मेरे साथ बाहन घुमने का दबाब बनाने लगा, मेरे माता–पिता देखे कि विवाह होने ही वाला है और कही इस कारण विवाह टुट न जाए जिस कारण साथ जाने की अनुमति दे दिये। दिनांक 05.07.2025 को कुतुमिनार घुमने गये तथा दिनांक 06.07.2025 को मथुरा गये जहां पर होटल मे रूके शतिश कुमार उर्फ करण ने शादी का वास्ता देकर मुझसे शारीरिक संबंध बनाया फिर वहां से दिनांक 08.07.2025 को घर लौट आये। पुनः दिनांक 14.08.2025 को मुझे नोएडा ले गया जहां पर घुमाया और फिर शारीरिक संबंध बनाया। इस सारी जानकारी शतिश कुमार उर्फ करण परिवार वालो को दिया और अपने माता पिता को भी दिये। मेरे पिता शादी का तिथि तय करने शतिश कुमार उर्फ करण घर गये तो वहां पर शतिश कुमार उर्फ करण, उसका भाई राकेश सिह, मनीष सिंह, जवाहर सिंह, आशा देवी कहे कि आपकी बच्ची बचचलन है और विवाह करने से इंकार कर दिये। दिनांक 03.03.2026 को पुनः इस बारे मे बात करने जब मेरे पिताजी गये तो उनहे गाली गलौज कर भगा दिया।"

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदकगण द्वारा पूर्व मे इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे कोई अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत प्राथमिकी के

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–818/2026
महुआ थाना कांड सं0–157/2026

संदर्भ मे दाखिल नही किया है। आवेदकगण का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नही है। केवल आवेदकगण पर विवाह के लिए दबाब बनाने के लिए यह मुकदमा दर्ज किया गया है। आवेदिका आशा देवी द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वैशाली के न्यायालय मे Informatory petition no. 385/2026 दाखिल किया गया है। आवेदकगण निर्दोष है। आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदकगण को अग्रिम जमानत देने हेतु अनुरोध किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप अन्य सह अपराधिक सतीश कुमार उर्फ करण के उपर लगाया गया है जो कि इस अग्रिम जमानत आवेदन मे आवेदक नही है। प्रस्तुत आवेदकगण पर केवल गाली गलौज एवं विवाह से इंकार करने का आरोप लगाया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो के आलोक मे अग्रिम जमानत आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि आरोप पत्र के पश्चात वे स्वतः न्यायालय मे प्रत्येक तिथि पर सदेह उपस्थित रहेगे अन्यथा उनका बंधपत्र स्वतः खंडित माना जायेगा। आवेदकगण को निर्देश दिया जाता है कि दो सप्ताह के भीतर निम्न न्यायालय मे आत्मसमर्पण करे तथा आवेदकगण की ओर से 10,000–10,000 (दस–दस हजार) रूपये का दो–दो जमानतदार का बंधपत्र दाखिल किए जाने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

–Sd-

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Date of Judgment/Order	23-04-2026
Date of Reserving Judgment/Order	23-04-2026
Uploading Date	30-04-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar

Web Copy not Official